

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार

24

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत
पदनामित अपीलीय पदाधिकारी के पदनाम की सूची

क्र०	यूनिट	स्तर	पदनाम
1	2	3	4
1	1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (मुख्यालय)	संयुक्त सचिव खा. एवं उ. सं. विभाग
2	9	प्रमंडल	सभी प्रमंडलीय आयुक्त
3	38	जिला	सभी जिला पदाधिकारी
4	1	पटना अनुभाजन	जिला पदाधिकारी, पटना
5	101	अनुमंडल	सभी अनुमंडल पदाधिकारी
6	534	प्रखंड	सभी अनुमंडल पदाधिकारी
7	1	राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण	अध्यक्ष, राज्य आयोग
8	1	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, लि०	प्रमुख प्रशासन
कुल :- 686			

विभाग द्वारा प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :-

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बनाये गये अधिनियम एवं नियमावली विभागीय वेबसाइट **www.fcp.bih.nic.in** पर उपलब्ध है ।

सूचना अभी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें किसी पुस्तकालय या वयन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यक्रम घंटे सम्मिलित है:-

विभाग में ऐसा सूचना उपलब्ध नहीं है

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी:—

श्री खुशीद आलम खाँ, विशेष कार्य पदाधिकारी ।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

कार्यालय आदेश

पत्रांक-प्र01/सु0अ0-05/2008 3269


/खाद्य,पटना/दिनांक 24.6.08

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5(1) एवं 5(2) के तहत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं सहायक लोक सूचना पदाधिकारी निम्न रूप में नामित किये जाते हैं :-


क्र०	यूनिट	स्तर	लोक सूचना पदाधिकारी में नामित पदनाम	सहायक लोक सूचना पदाधिकारी में नामित पदनाम
1	1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना	जि.पि. सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	अरवि सन्निव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
2	9	प्रमंडल	उप निदेशक, खाद्य	प्रधान सहायक, उपनिदेशक खाद्य कार्यालय
3	37	जिला	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय	पणन पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रधान सहायक (आपूर्ति), जिला आपूर्ति कार्यालय
4	1	जिला पटना (ग्रामीण)	अपर समाहर्ता, आपूर्ति, पटना अपर समाहर्ता, कार्यालय पटना	पणन पदाधिकारी/प्रधान सहायक (आपूर्ति) अपर समाहर्ता, आपूर्ति कार्यालय
5	1	पटना अनुभाजन	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी पटना अनुभाजन कार्यालय	सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना अनुभाजन
6	101	अनुमंडल	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल कार्यालय	प्रधान सहायक, अनुमंडल कार्यालय
7	534	प्रखंड	पणन पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय	प्रभारी सहायक (आपूर्ति) सह प्रधान सहायक, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय
8	1	राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण	निबंधक राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण	लेखापाल, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण

9	1	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि०	उप प्रमुख प्रशासन	प्रमुख प्रशासन
10	38	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि० (जिला ईकाई)	जिला प्रबन्धक	-----

2. यह आदेश तुरत प्रभावी होगा ।
3. एतत् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।


(जयशंकर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

शापांक- प्र०१/सु०अ०-०५/२००८ 3269 /खाद्य,पटना/दिनांक 24/6/08
प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / महानिदेशक,बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ पटना/प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, लि०, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपनिदेशक, खाद्य/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला षण्डाधिकारी (आपूर्ति) पटना/निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, पटना/ सचिव राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक एवं विभागीय मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी इस आदेश द्वारा नामित पदधारकों का नाम एवं दूरभाष संख्या की सूची विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।


सरकार के उप सचिव ।